श्री टी० अन्जैय्या : जहां भी बोंडिड लेबर के बारे में हमें इनफारमेशन मिलती है हम लोग एक्शन लेते जा रहे हैं । अब अगर कोई इनफारमेशन आपके पास है तो हमें दीजिये मैं 24 घंटे के अन्दर एक्शन लेने के लिये कहूंगा । मगर आप कुछ देते नहीं हैं । बात यह है कि सुबह से शाम तक टेक्सटाइल मिलो, इंजीनियरिंग कम्पनियों और बड़ी-बड़ी फैक्टरीज़ के बारे में बातचीत करते है । यह तो जिम्मेदारी आपके ऊपर है, मेरे ऊपर है और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी है ।

Report of wage Board for Journalists

@*402. SHRI BHUVNESH CHATURVEDI: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) by when the Wage Board for Journalists is likely to submit its final report; and

(b) whether the Wage Board has submitted its interim report; if not, by when the Board is likely to do so?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI T. ANJAIAH): (a) and (b). A Statement is placed on the Table of the House.

Statement

The Government of India had set up the Wage Board for Working Journalists on 17th July, 1985, for the purpose of fixing and revising the rates of wages, in accordance with the provisions of the Working Journalists and other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 (45 of 1955). The Wage Board is expected to finalise its recommendations within one year of its constitution.

The Act, *inter alia,* provides that where the Central Government is of the opinion that it is necessary to do so, it may after consultation with the Board, by notification in the Official Gazette, fix interim rates of wages in respect of working journalists. In the light of numerous representations received by the Government from the working journalists for interim relief the Govenment had taken up the matter with the Wage Board in August 1985 and again in October 1985. A Questionnaire in this regard has already been circulated by the Wage Board by way of a notice on 10.12.1985 and it has requested the interested parties to submit their memorandum within 30 days. The Board expects to finalise its recommendations in regard to interim rates of wages expeditiously.

SHRI BHUVNESH CHATURVEDI: Madam Deputy Chairman, may I know from the Minister whether the Chairman of the Wage Board has expressed his inability to hold a meeting in Delhi as there is no office accommodation of the Board or the Secretary of the Board and in view of this delay in holding the meeting, will it not delay the submission of the interim report which the Government is supposed to act on?

श्री टी० अन्जैय्या : मैडम अभी जो सवाल पूछा गया है इसमें इंटेरिम रिलीफ का आफिस से कोई ताल्लक नहीं है । आफिस तो हमारे लेबर डिपार्टमेंट वाले कर रहे हैं पहले से ऐसा कोई प्रेक्टिस नहीं था कि हम कोई आफिस और मकान दें लेकिन अब मकान भी अलाट हो गया है और फायनेंस से बहुत सी चीजें सेंक्शन हो गई हैं । इंटेरिम रिलीफ जो बर्कर्स ने मांगा है वह गवर्नमेंट से कनसलटेशन कर के देना पड़ता है इंटेरिम रिलीफ से यह जो सब चीजें डिले हुई हैं कोई उससे ताल्लुक नहीं है । इंटेरिम रिलीफ के लिए भी हमने रिक्वेस्ट किया है । अब जहां तक स्टाफ का सवाल है आफिस के लिए 4000 स्क्वेयर फुट रेलवे भवन में जगह दी गई है । दो चार आफिसर्ज का उनको अप्वाइंटमेंट करना है, गवर्नमेंट को भी करना है, यह सब कुछ हो रहा है मगर इसकी वजह से इंटेरिम रिलीफ के रुकने का कोई ताल्लुक नहीं है ।

श्री भूवनेश चतुर्वेदी : माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन यह है कि वेज बोर्ड की मीटिंग नहीं हो रही है । 6 महीने तक उनके एपाइंटमेंट नहीं होते हैं । चूंकि वेज बोर्ड की मीटिंग नहीं हुई

@previously starred question 262, Ttransferred from the 6th December, 1985.

तो इंटरिम रिलीफ के लिए क्या रिकमेंड करेंगे और कैसे रिकमेंड करेंगे ?

श्री टी० अन्जैय्या : आप कैसी बात कर रहे हैं । चार मर्तबा मीटिंग हुई है। चार मरतबा उन्होने डिसकशन किया है। यह टालने की बात हो तो दूसरी बात है । इंटरिम रिलीफ के लिए यह कोई जरूरी नहीं है । इंटरिम रिलीफ के बारे में जर्नलिस्ट्स का जो एक्ट है वह क्लीयर है :

"As soon as may be, after the receipt of the memorandum of the Board, the Central Government shall make an order to implement the recommendations subject to such modifications as the Central Government deems fit...

यह जो बात है इसमें क्लीयर है कि इंटरिम रिलीफ के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने पहले रेफर किया है और ओनली कंसलटेशन करना है । वह हम कर रहे है । फिर भी दूसरी कई मीटिंगें हुई है । चार मीटिंगे हुई है, एक नही । बाम्बे में जाकर मीटिंग की है। फैसिलिटीज का सवाल है, वे भी मिल रही हैं, कुछ और मिलनी हैं, एक दो रोज के डिले की बात है, वह हो जायेगा । मैं समझता हूं अभी उनको इंटरिम रिलीफ मिलना चाहिए और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंटस के वर्कर्स की डिमांड को उनके सामने पेश किया है । इससे पहले ऐसा नहीं था और जितने चेयरमैन बने हैं कभी दिल्ली में उनको न मकान दिया गया न आफिस दिया गया । वे अपनी जगहों पर काम करते थे । आज यह चेयरमैन बोले कि हमारे लिए दिल्ली में होना चाहिए और गफूर साहब को आप जानते हैं, मकान और दुकान देने वाले ये ही हैं । मकान के लिए पूछा, कहा शार्टेज है, फिर भी उन्होंने एक बंगला दिया है, दुकान-आफिस रखने के लिए बड़ी मुश्किल से रेलवे वालों ने दिया है । पहले यह प्रक्टिस नहीं थी । यह जो चेयरमैन आये हैं, पूछ रहे हैं उनको प्रोवाइड किया जा रहा है । मगर इंटरिम रिलीफ का अभी से ऐसा है कि इसमें असेसर को अभी कुछ करना नहीं है और इंटरिम रिलीफ अभी दे देना चाहिए । पालेकर ने जो रिकमेंडेशन दिया तो आठ महीने के बाद इंटरिम रिलीफ दिया है । मैं समझता हूं कि यह इंटरिम रिलीफ जल्दी होगा ।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : महोदया...

उपसभापति : इतना लम्बा जवाब आपको दिया है अभी आप सैटिसफाइड नहीं हैं ।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : जवाब ही नहीं दे रहे हैं मंत्री महोदय । मैं मंत्री महोदय का ध्यान समाचार पत्रों में छपी इस खबर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें कहा है :

The Chairman of the Board has said that a meeting was not possible because the Wage Board had no office accommodation. So, he has said, he is unable to submit a report for interim relief. Kindly assure the House as to when the interim recommendations of the Wage Board will be available.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We are discussing interim report or interim relief?

श्री टी० अन्जैय्या : अगर आपको मेम्बर को देखना है, हमारे आफिस में बैठे हैं या लीगल एडवाइजर के आफिस में बैठे हुए है आप जाकर मिल सकते हैं । वे आफिस में बैठे हैं या कहीं बैठे हुए है आप मिल सकते है ।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : मै मंत्री महोदय से आश्वासन चाहता हूं कि इंटरिम रिलीफ की रिपोर्ट कब तक मिलेगी, आखिरी डेट लाइन दे दीजिए ।

उपसभापति : वे पूछ रहे हैं इंटरिम रिलीफ की इंटरिम रिपोर्ट :

श्री टी० अन्जैय्या : जो ट्रेड यूनियन्स वालों ने 300–400 रुपये पूछे हैं उनको तो हमने रिकमेंड किया है । उनसे कंसलटेशन करके हमको एक आर्डिनेंस इश्यू करना है, गवर्नमेंट को नोटिस नोटीफिकेशन करना है । इसमें अभी देर हो रही है । मैं समझता हूं कि वह बहुत जल्दी होगा ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: He has made a very interim reply. Now, Mr. Kapil Verma.

SHRI KAPIL VERMA: There is great discontent and disaffection among the newspapermen of the country about the inordinate delay in announcing interim relief. The hon. Minister, whom I consider to be a genuine friend of the journalists and the working class. has himself admitted that all that is necesary under the Act is only consultation and nothing more. He has only to consult the Board, and nothing more. The Board has given a notification in newspapers and invited representations. A very long process which should take p'ace, should take place only for the final recommendations. So far as interim relief is concerned, a very quick method should be adopted. And unless quick relief is given, the very purpose is defeated. So I want to know from the Government what immediate and concrete steps he is going to take to make the Wage Board quickly recommend. And you complete your consultation within a month and announce the relief.

श्री टी० अन्जैय्या : यह ठीक है कि हम कनसल्टेशन करके बहुत जल्दी अनाऊंसमेंट करेंगे । अब रहा कि गवर्नमेंट ... (व्यवधान)

श्री कपिल वर्मा : एक महीने में करेंगे ना ।

श्री टी० अन्जैय्या : एक मिनट सुनिये ना, अगर मैं कहना चाहूंगा तो जज साहब बोलेंगे कि मिनिस्टर साहब ने ही खुद अनाऊंसमेंट कर दी है । इससे पहले उन्होंने एक लैटर लिखा कि कि आपने यह कहा है कि इन्टरिम रिलीफ आप अनाऊंस करने वाले हैं । अब गवर्नमेंट को ऐसी अनाऊंसमेंट करने में कोई बाधा नहीं है, फिर भी हम नहीं चाहते कि जो बोर्ड बने, उससे कनसल्टेशन नहीं करते हुए करें । कल यह हां कहेंगे कि हमको बाई-पास कर रहे हैं । नैक्स्ट मीटिंग में हम जरूर इसके ऊपर कनसल्टेशन करेंगे । यह ओनली कनसल्टेशन ही है और कुछ नहीं है । इससे कनसल्टेशन करना है, गवर्नमेंट को डिसीज़न लेना है । हम सोच रहे हैं कि जनवरी के अन्दरउनसे कनसल्टेशन होगा और मैं समझता हूं कि इसका डिसीज़न जनवरी-फरवरी के अन्दर जरुर हो जाएगा ।

SHRI SUKOMAL SEN: The Wage Board was constituted in July 1985. Now the Chairman of the Board cancelled the meetings for taking oral evidence on interim wage increase. I want to know whether the chairman of the National Federation of Newspaper and Newsagency Employees Organisation, Mr. S.Y. Kolhatkar, who is a member of the Board from the employees' side, sought the intervention of the Prime Minister of regard to the delay in getting office accommodation, secretary, etc. and whether he has also in protest against this attitude of the Government, threatended to resign from the Board.

श्री टी० अन्जैय्या : वह तो आप लोगों की आदत ही है क्योंकि आप लोगों का प्रोटैस्ट करने का और रिजाइन करने का नेचर बन गया है । आप हमारे हाथ मजबूत करने के बजाए —आपको मालूम होना चाहिए, मकान मिला कि नहीं ... (व्यवधान) सुनिये ना, मकान तो मिल ही गया है, आप पूछ लीजिए।

एक माननीय सदस्य : कब दिया है ?

श्री टी० अन्जैय्या : वह तो मकान है, जब कभी अलाटमेंट होगा, तभी हमने हाऊसिंग मिनिस्टर को उसी दिन लिखा है जिस दिन एप्वाइंटमेंट हुई है । मगर आप जानते हैं कि यह इतनी जल्दी नहीं होता है । आप पार्लियामेंट मेम्बर्ज़ को भी मकान मिलना मुश्किल है, यह तो आप जानते हैं । उनको एक मकान दिया गया, पर वह उनको पसंद नहीं है ।

उन्होंने कहा कि हमको बंगलो चाहिए अब बंगलो दिये हैं ।

अब रही आफिस की बात, तो जो एल०आई०सी० के भवन में देकर जिसका महीने का किराया 60 हजार रुपया है, उसके लिए एल०आई०सी० से बातचीत

चली नहीं। फिर रेलवे भवन में जगह दी है। इसके लिए हमारे आफिस में कुछ काम कर रहे हैं। यह सब चीजें जो हैं, एक दम पैसा हम दे सकते है, मगर मकान मिलना और आफिस मिलना बहुत मुश्किल है। मगर हमने उनसे कहा कि आप मध्य प्रदेश में ही बैठ कर काम कीजिए तो वह चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में हम नहीं करेंगे। इससे पहले पालेकर ने भी वहीं से ही किया है। इसके पहले जो वेज बोर्ड के चैयरमैन बने, उन्होंने भी अपना वहीं से काम किया है और वहां से लोगों को एप्वाइंट किया है।

मगर यह चाहते हैं कि दिल्ली में रहें और दिल्ली में सब चीजें मिलें। अब यह चीजें प्रोवाईड हो रही हैं और हो जायेंगी।

अब इन्टेरिम रिलीफ के लिए यह सारे कारण जो बताये जा रहे हैं कि इसका असेसर होना चाहिए, इन्टेरिम रिलीफ के लिए क्या असेसर होना चाहिए, असेसर जो कुछ होगा, वह तो जब पूरा टर्नओवर क्या है, क्या इसकी लायबिलटी है, क्या इसकी इनकम है, वह तो बाद में आने वाला है। यह तो इन्टेरिम रिलीफ का तुरन्त अनाऊंसमेंट होना अच्छा है। ऐसा हम समझते हैं और इसमें और डिटेल में जाकर मैं जज के बीच में और कमेटी के बीच में ऐसी बातें बोलूं, इसकी वजह से ठीक नहीं है और एक्ट तो पूरे तरीके से गवर्नमेंट को ओनली कनसल्टेशन करनी है। इसके सिवाए और कुछ नहीं है। तो अभी हम उनकी ज्यूरिसडिक्शन को मैं यह नहीं चाहता कि लेबर मिनिस्टर अलग कुछ डिक्टेट कर रहे हैं और डेमोक्रेसी के अन्दर फायदा नहीं होगा। क्योंकि आदमी है, जब वह बैठे है, जूडिशल पावर्ज उनको हैं—उसमें हम इन्टरफियर नहीं करना चाहते। हम फिर उनसे रेक्वैस्ट करेंगे।... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : भाषण दे रहे हैं।

श्री टी० अन्जैय्या : हां, भाषण आप भी देते हैं, मैं भी देता हूं। यह भाषण राशन के लिए होता है ना।

तो मेरा आपसे कहना है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई डिले नहीं है, अगर मेम्बर्ज रिजाईन करेंगे, तो और डिले हो जाएगा। अगर आप कहते हैं कि मैम्बर्ज रिजाईन करेंगे, तो इसका मतलब यह है कि आपको इसमें इंट्रैस्ट नहीं है। आपने कभी देखा भी नहीं कि गवर्नमेंट ने क्या किया है या क्या नहीं किया है।

श्री सुकोमल सेन : अकोमोडेशन नहीं दिया है, तो काम कैसे चलेगा।... (व्यवधान)

*403. [*Transferred to the 20th December, 1985*].

Ilo report regarding vocational rehabilitation of the disabled

*404. SHRI DHULESHWAR MEENA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news report relating to the International Labour Organisation entitled 'Vocational rehabilitation of disabled persons';

(b) whether Government have drawn up any integrated plan for vocational rehabilitation of disabled persons and also subserve their employment in the open labour market; if so, what are the details thereof;

(c) whether the above report was examined by the ILO's 10th Asian Regional Conference held early this month in Jakarta; and

(d) if so, what is the outcome thereof and what follow-up action is proposed to be taken by Government in the matter?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI T. ANJAIAH): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.